

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 88

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2023-01953

आवेदिका : श्रीमती मंजू तिवारी, पति-श्री अनिल तिवारी, पता-नाला के पास, शक्ति पारा, उरकुरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध (1) संपदा अधिकारी, (2) कार्यपालन अधिकारी,, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र-3, मौलश्री विहार, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट - "प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना", नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
24/11/2023	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- आवेदिका स्वतः उपस्थित।</p> <p>- अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री अभिषेक झा उपस्थित।</p> <p>अनावेदक अभिभाषक द्वारा आवेदिका को ई.डब्ल्यू.एस. प्रकोष्ठ भवन क्रमांक-SEC-30/FF, BL-77/101 का आधिपत्य सौंपे जाने की जानकारी देकर आवेदिका का आधिपत्य ग्रहण करने संबंधी आवेदन की छायाप्रति पेश किया गया।</p> <p>आवेदिका द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. प्रकोष्ठ भवन का आधिपत्य प्राप्त करना स्वीकार किया गया एवं प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने निवेदन किया गया।</p> <p>आवेदिका द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. प्रकोष्ठ भवन का आधिपत्य लेने के फलस्वरूप किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहती है, टिपांकित किया गया है। आवेदिका के कथन पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>